



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 जून, 2021
ज्येष्ठ 28, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या-यू0ओ0-70/छ:-पु0-9-2021-332जी-91-न्याय-2
लखनऊ, 18 जून, 2021

अधिसूचना

प0आ0-145

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 49 सन् 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (2) एवं (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अपराधों, जिनमें एतदपश्चात् उनके न्यायालयों में आरोप पत्र दाखिल किये गये हों, के विचारण के लिये उक्त अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती हैं। और यह निर्देश देती हैं। कि उक्त क्षेत्रों के भीतर उद्भूत होने वाले ऐसे अन्य मामलों, जिनमें उक्त अधिनियम सन् 1988 के अधीन नियुक्त किसी अन्य विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोप पत्र पहले से ही दाखिल किये गये हों, का भी विचारण और निस्तारण, संबंधित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा और उनका न्यायालय, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा विनिर्दिष्ट रूप में अभिहित किया जायेगा।

अनुसूची

क्रम-संख्या	जिला	नव सृजित विशेष न्यायालय में विशेष न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये न्यायिक अधिकारी का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	अधिकारिता का क्षेत्र
1	2	3	4	5
1	वाराणसी	श्री अशोक कुमार सिंह यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	(भ्रष्टाचार निवारण), विशेष न्यायालय संख्या-4, वाराणसी	जिला-फतेहपुर, सोनभद्र, भदोही और जिला वाराणसी के पुलिस थाने अर्थात् लंका, लक्सा, जनसा, मिरजामुराद, मडुआडीह, रोहनिया और शेष अन्य पुलिस थाने

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. U.O.-70/VI-P-9-2021-332G-91-Nyay-2, dated June 18, 2021:

No. U.O.-70/VI-P-9-2021-332G-91-Nyay-2

Dated Lucknow, June 18, 2021

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 and sub-section (2) and (3) of section 4 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act no. 49 of 1988) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to appoint from the date of their taking over charge by the Additional District and Sessions Judge, mentioned in Column-3 of the Schedule below as Special Judge for the areas mentioned in Column-5 of the said Schedule for trial of such offences as specified in sub-section (1) of section 3 of the said Act of 1988 in which *hereinafter* charge sheets are filed in their Courts and to direct that such other cases arising within the said areas, in which charge sheets have already been filed before any other Special Judge appointed under the said Act of 1988 shall also be tried and disposed of by the Additional District and Sessions Judge concerned and the Court thereof shall be designated as specified in Column-4 of said Schedule :-

SCHEDULE

Sl. No.	District	Name of the Judicial Officer recommended for their appointment as Special Judge in the newly created Special court	Name of the Special Court	Area of Jurisdiction
1	2	3	4	5
1	Varanasi	Sri Ashok Kumar Singh Yadav, ADJ.	Special Court no. 4 (Prevention of Corruption) Varanasi	District- Fatehpur, Sonbhadra, Bhadohi, and Police Stations namely Lanka, Luxa, Jansa, Mirzamurad, Manduadeeh, Rohania and any other left out police station in the district Varanasi.

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 97 राजपत्र-2021-(175)-599+50=649 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।